राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4326 / 2022

डॉ. ज्ञानेन्द्र बंसल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेटीओ199336003175)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022

आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निलम्बन आदेश 07.09.2020 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचारा निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एफ.आई.आर. संख्या 172 / 2020 में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 19.07.2020 को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने का हवाला है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने के आदेश प्रदान किये गए हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलम्बन आदेश पारित हुये करीब 2 वर्ष 9 माह का समय हो चुका है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने न तो इस प्रकरण में विभागीय जांच के संबंध में कोई चार्जशीट अपीलार्थी को नहीं दी है और न ही निलम्बन आदेश को रिव्यू कर बहाल किया है। ऐसे में अधिक समय तक निलम्बन रखा जाना उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। बहस के दौरान हमारे द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.03.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

   ''ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।

लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।''

3. उक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा के ऐसे प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तक सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की स्थिति में उक्त प्रकरण निलम्बन से बहाल है तो पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का जो चालान फौजदारी न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो चुका है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के संबंध में पुनरावलोकन समिति द्वारा अपीलार्थी के निलम्बन के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति के नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
4. उक्त कार्यवाही के लिए 2 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)